

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि:- 14 दिसंबर, 2023

सि.वा. (वाणि.) 884/2023, अंतर.आ. 25074/2023, 25075/2023,
25076/2023 और 25077/2023

फ्रीबिट एएस

.....वादी

द्वारा: सुश्री श्वेताश्री मजूमदार, सुश्री तान्या
वर्मा, सुश्री देवयानी नाथ, श्री पृथ्वी
गुलाटी, अधिवक्तागण (मोबा.
8802958896)

बनाम

एक्सोटिक माइल प्राइवेट लिमिटेड

..... प्रतिवादी

द्वारा: श्री गौरव मिगलानी, श्री तरुण गांधी, श्री
देवेश वशिष्ठ, श्री शरभ श्रीवास्तव, सुश्री
मल्लिका चड्ढा, सुश्री नानकी अरनेजा
अधिवक्तागण
(मोबा. 9958445115)

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम. सिंह

निर्णय

न्या. प्रतिभा एम. सिंह

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड के द्वारा की गई है।

आई.ए.25076/2023 (छूट के लिए)

2. यह एक ऐसा आवेदन है जो दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित/स्वीकृत/टाइप की गई या अनुवादित प्रतियां, बाएं तरफ के मार्जिन, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, आदि दाखिल करने से छूट की मांग करता है। मूल दस्तावेजों को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और डी.एच.सी. (मूल पक्ष) नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति/अस्वीकृति के समय प्रस्तुत/दाखिल किया जाएगा।
3. सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन, छूट की अनुमति दी जाती है।
4. तदनुसार, आवेदन का निपटान किया जाता है।

अंतर.आ.25075/2023 (अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए)

5. इस आवेदन में उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 (इसके बाद, 'वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम') के वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीली प्रभाग के तहत अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगी गई है। यदि वादी बाद के चरण में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहता है, तो वह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और डी.एच.सी. (मूल पक्ष) नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करना होगा।
6. आवेदन का निपटान किया जाता है।

अंतर.आ.25077/2023 (वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के तहत)

7. यह वादी द्वारा दायर एक आवेदन है जिसमें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के तहत मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता संस्थित करने से छूट की मांग की गई है। *यामिनी मनोहर बनाम टीकेडी कीर्ति, 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1382* में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी किया कि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित किसी कानूनी आवश्यकता या नियमों के अभाव में, मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता की प्रक्रिया को माफ करने के लिए किसी विशिष्ट आवेदन के साथ वादपत्र की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय यह तय कर सकती है कि मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता शुरू करने से छूट दी जानी चाहिए या नहीं। उक्त निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ न्यायालय में अभिवचनों और मौखिक प्रस्तुतियों के आधार पर किया जाना है।

8. तदनुसार, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, इस आवेदन का निपटान किया जाता है।

सि.वा.(वाणि.) 884/2023

9. वादपत्र को वाद के रूप में पंजीकृत किया जाए।

10. प्रतिवादी को समन जारी करें। विद्वान अधिवक्ता श्री मिगलानी द्वारा समन स्वीकार किया गया।

11. वादपत्र के लिखित कथन को समन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निश्चित रूप से दायर किया जाएगा। लिखित कथन के साथ, प्रतिवादी वादी के दस्तावेजों को स्वीकार/अस्वीकार करने का हलफनामा भी दाखिल करेगा, जिसके बिना लिखित कथन को अभिलेख पर नहीं लिया जाएगा।

12. वादी को लिखित कथन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उत्तर दर्ज करने की स्वतंत्रता दी जाती है। वादी द्वारा दायर उत्तर के साथ, यदि कोई हो, प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी के दस्तावेजों के स्वीकार/अस्वीकार का हलफनामा दायर किया जाएगा, जिसके बिना उत्तर अभिलेख पर नहीं लिया जाएगा। यदि कोई भी पक्षकार किसी दस्तावेज की जाँच करना चाहता है, तो उसे समय सीमा के भीतर मांगा और दिया जाएगा।

13. 12 फरवरी, 2024 को प्रदर्शों के अंकन के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेजों को अनुचित रूप से अस्वीकार करने वाला किसी भी पक्षकार को जुर्माना भरना होगा।

14. 10 मई, 2024 न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करें।

अंतर.आ. 25074/2023 (सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 के तहत)

15. वर्तमान मुकदमा वादी- फ्रीबिट एस द्वारा दायर किया गया है, जिसमें प्रतिवादी- एक्सोटिक माइल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ वादी द्वारा पेटेंट संख्या आईएन 276748 (इसके बाद 'वाद पेटेंट') के संबंध में व्यादेश की

मांग की गई है। आविष्कार का शीर्षक 'इम्प्रूव्ड इयरपीस' है और उक्त पेटेंट का संदर्भ सूची का विवरण नीचे दिया गया है:

पेटेंट संख्या	276748
आवेदन संख्या	7050/सीएचईएनपी/2009
आवेदन का प्रकार	पीसीटी राष्ट्रीय चरण आवेदन
पैरेंट आवेदन संख्या	---
पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन संख्या	पीसीटी/एन008/00190
स्वीकृति शीर्षक	इम्प्रूव्ड इयरपीस
पेटेंट की तिथि	30/05/2008
स्वीकृति की तिथि	31/10/2016
अभिलेखन की तिथि	31/10/2016
उपयुक्त कार्यालय	चेन्नई
पीसीटी की अंतर्राष्ट्रीय दाखिल करने तिथि	30/05/2008

16. वादी का मामला यह है कि उसने 'सी-शेप इयरफोन इंटरफेस' डिजाइन किया है। वादपत्र के पैराग्राफ 15 में दिया गया चित्र निम्नानुसार है:



17. वाद के पैराग्राफ 1 8 से 21 के अनुसार, यह प्रकथन किया गया कि बड़ी संख्या में संबंधित विदेशी आवेदन हैं, जिन्हें या तो मंजूरी दे दी गई है या स्वीकृति के लिए लंबित हैं। पैराग्राफ 21 में, यह उल्लेख किया गया है कि यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा 27 अप्रैल, 2018 के आदेश के अनुसार संबंधित पेटेंट धारक प्रकाशन संख्या 'ईपी2177045ए1' को प्रतिसंहत कर दिया गया है। अन्य विदेशी पेटेंटों का विवरण, जैसा कि वादपत्र के पैराग्राफ 19 में उल्लिखित है, नीचे उद्धृत किया गया है:

क्र.सं.	देश का नाम	संप्रयोग की तिथि	आवेदन संख्या	स्थिति
1.	ए.आर.आई.पी.ओ.	30/05/2008	एपी/पी/2009/005049	लंबित
2.	ओ.ए.पी.आई.	30/05/2008	1200900400	लंबित
3.	ऑस्ट्रेलिया	30/05/2008	2008257820	प्रकाशित

4.	चीन	30/05/2008	200880018303.9	लंबित
5.	जापान	30/05/2008	2010-510247	लंबित
6.	इंडोनेशिया	30/05/2008	W00200903305	लंबित
7.	दक्षिण कोरिया	30/05/2008	2009-7024923	स्वीकृत
8.	इज़राइल	30/05/2008	202192	लंबित
9.	कनाडा	30/05/2008	2,689,100	लंबित
11.	मिस्र	30/05/2008	पीसीटी 1731/2009	लंबित
12.	यूरेशिया	30/05/2008	2009148293	लंबित
13.	न्यूजीलैंड	30/05/2008	पीसीटी/एन008/00190	लंबित
14.	फ़िलिपींस	30/05/2008	पीसीटी/एन008/00190	लंबित
15.	संयुक्त राज्य अमेरिका	30/05/2008	12/600795	स्वीकृत

18. वादी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मजूमदार ने प्रस्तुत किया गया कि वादी के पास बोट, जे.बी.एल., स्कलकैंडी, हरमन आदि सहित कई लाइसेंसधारी हैं जो वादी को उसके पेटेंट पोर्टफोलियो के लिए रॉयल्टी का भुगतान कर रहे हैं।

19. वादी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने वाद पेटेंट के दावों और पूर्ण विनिर्देश के साथ-साथ वादपत्र के पैराग्राफ 33 में प्रदान किए गए दावा प्रतिचित्रण चार्ट के माध्यम से भी न्यायालय को अवगत कराया, जिसमें प्रतिवादी के उत्पादों के साथ वाद पेटेंट के दावों का प्रतिचित्रण किया गया है।

20. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री गौरव मिगलानी ने अग्रिम सूचना पर दस्तावेजों का एक संकलन सौंपा है, जो उनके अनुसार प्रकट करता है कि वादी द्वारा दिए गए संबंधित पेटेंट की जानकारी पूरी तरह से गलत, भ्रामक और झूठी है।

21. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, वाद पेटेंट से संबंधित विदेशी पेटेंट को चीन, जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप और ब्राजील सहित कई अधिकार क्षेत्रों में अमान्य/अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ('ई.पी.ओ.') के निर्णय और उच्च न्यायालय, पेटेंट, न्यायालय, यू.के. द्वारा दिए गए निर्णय की प्रतियां सौंपी हैं।

22. विद्वान अधिवक्ता ने अमेरिका में पेटेंट ट्रायल एंड अपील बोर्ड ('पीटीएबी') के दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसका शीर्षक **'बोस कॉर्पोरेशन बनाम फ्रीबिट एस'** और संख्या **आईपीआर2017-00129** है। उक्त निर्णय को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ('सीएएफसी') ने 8 अक्टूबर, 2019 को शीर्षक **'फ्रीबिट एस बनाम बोस कॉर्पोरेशन'** (18-2365) में दिए गए फैसले में बरकरार रखा है।

विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इन सभी निर्णयों से पता चलता है कि नवीनता की कमी के कारण वाद पेटेंट को अमान्य माना गया है। उन्होंने प्रस्तुत करता है कि, इसी आधार पर, अंतरिम व्यादेश के लिए वादी की प्रार्थना खारिज होनी चाहिए।

23. वाद पेटेंट, आई.एन. 276748, भारत में वादी द्वारा पी.सी.टी. राष्ट्रीय चरण आवेदन के रूप में 30 नवंबर, 2009 को आवेदन संख्या '7050/सीएचएनपी/2009' के साथ दायर किया गया था, जिसमें नॉर्वे के पेटेंट आवेदन संख्या 'एनओ 328038' पर प्राथमिकता का दावा किया गया था। पीसीटी आवेदन के लिए अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग तिथि 30 मई, 2008 है, इसलिए, पेटेंट की अवधि 29 मई, 2028 तक है। जांच के बाद, 31 अक्टूबर, 2016 को वाद पेटेंट प्रदान किया गया था।

24. वाद पेटेंट 5 दावों के साथ दायर किया गया है, जिसमें एक स्वतंत्र दावा है। वाद पेटेंट के दावे सुलभ संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:

"हम दावा करते हैं:

1. कान में स्थिर फिटिंग के लिए एक कान इकाई, जिसमें उक्त कान इकाई (10) को एक घटती हुई वक्र के रूप में आकार दिया गया है, जिसमें कान इकाई (10) के बाहरी भाग का उक्त घटती हुई वक्र (9) कान के एंटीहेलिक्स (13) के अनुरूप है, जिसकी सतह इस तरह से आकार में होती है कि वक्र एंटीहेलिक्स (13) के आंतरिक भाग के साथ गिरती है और आंशिक रूप से एंटीट्रैगस (3) के नीचे स्थित होती है, और यह कि घटती हुई वक्र के सिरों

(5,8) के बीच की दूरी लगभग ट्रेगस (4) के नीचे बनी पहली गुहा के बीच की दूरी के बराबर होती है, कान का और दूसरा गुहा कान के एंटीहेलिक्स के निचले नोड (15) से ढका हुआ है, वक्र का ऊपरी भाग एक फ्लैप (2) के नीचे सामने आता है दूसरे गुहा के निचले हिस्से को ढकता है, उस कान इकाई में एक वक्रता होती है जो एक बेहतर जुड़ाव जुड़ाव प्रदान करती है जिसमें कहा गया वक्रता एक संपर्क सतह प्रदान करने के लिए कान की पेशियों (22) की आंतरिक सतह का अनुसरण करती है, है ताकि एक संपर्क सतह प्रदान की जा सके, जिससे कार इकाई को कान की मसल के खिलाफ बारीकी से फिट होने में सक्षम बनाया जा सके जब कान इकाई (10) कान में स्थित हो।

2. दावा 1 के अनुसार कान इकाई, जिसमें कान इकाई (10) में एक भाग (7) होता है जो नीचे की ओर फैलता है, उक्त भाग (7) और कान इकाई के बीच संक्रमण इस तरह से बनता है कि यह इंटरट्रैजिक निशान (14) के साथ संरेखित होता है।

3. 1-2 के दावों के अनुसार कान इकाई, जिसमें कार इकाई में ईयर फोन और माइक्रोफोन वाले समूह से कम से कम एक इकाई शामिल होती है।

4. दावा 1-3 के अनुसार कार इकाई, जिसमें उक्त कार इकाई में मोबाइल पीस और इसी तरह के उपयोग के लिए वायरलेस संचार इकाई के समूह से एक इकाई और संगीत प्रणाली और इसी तरह के उपयोग के लिए वायर्ड संचार इकाई शामिल है।

5. दावा 1-4 के अनुसार एक कान इकाई युक्त एक व्यक्ति, जिसमें उक्त कार इकाई को स्टीरियो प्रभाव बनाने के लिए दावा 1-4 के अनुसार कम से कम एक दूसरी कान इकाई के साथ संचालित किया जाता है।”

25. पूर्ण विनिर्देश को पढ़ने से, और वाद पेटेंट के दावों के साथ-साथ वादी द्वारा अभिलेख पर रखे गए अभिवचनों से, वाद पेटेंट कान में स्थिर और आरामदायक लगाव के लिए डिज़ाइन की गई एक कान इकाई का खुलासा किया गया है। वाद पेटेंट में दावा की गई एक प्रमुख विशेषता घटती हुई वक्र डिज़ाइन को अपनाना है, जो कान की शारीरिक रचना, विशेष रूप से एंटीहेलिक्स और एंटीट्रैगस के साथ संरेखित होता है, और वक्रता जो कान के पेशियों को बारीकी से फिट करती है, जिससे उपयोगिता और आराम में सुधार होता है।

26. वादी के अनुसार, इस वाद पेटेंट का प्रभाव स्थिरता प्राप्त करना है, जबकि यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त है और कान की नली में रुकावट की असुविधा से बचाता है। उक्त निष्कर्ष पूर्ण विनिर्देश में दिए गए वाद पेटेंट के उद्देश्य और सारांश से भी स्पष्ट है। उक्त उद्देश्य और सारांश नीचे दिए गए हैं:

“आविष्कार का उद्देश्य

पूर्व तकनीक के आधार पर, आविष्कार का उद्देश्य इन नुकसानों और सीमाओं से बचना है और साथ ही साथ आगे की संभावना के साथ एक कान इकाई की स्थिरता और आरामदायक लगाव में और सुधार प्रदान करना है।

आविष्कार का सारांश

यह एक डिवाइस द्वारा प्रदान किया जाता है जैसा कि दावा 1 द्वारा खुलासा किया गया है। आविष्कार की आगे की

विशेषताओं का खुलासा शेष आश्रित दावों द्वारा किया गया है। कान इकाई का आकार कान नली को बंद या अवरुद्ध करने वाली इकाई की तुलना में बेहतर आराम के लिए बाहरी वातावरण की ओर कुछ हद तक खुला रखता है।

चित्र का संक्षिप्त विवरण

आविष्कार के मूर्त रूप कहां हैं, चित्र के संदर्भ में खुलासा किया जाएगा, जहाँ:

चित्र 1 योजनाबद्ध रूप से एक वक्र के साथ एक कान दिखाता है जिसमें एक भाग नीचे फैला हुआ है।

चित्र 2 एक माइक्रोफोन डिवाइस के साथ वर्तमान आविष्कार के अनुसार एक कान इकाई दिखाता है।

चित्र 3 वर्तमान आविष्कार के अनुसार एक वक्रता के साथ कान इकाई दिखाता है जो कान इकाई को कान के पेशियों में बारीकी से फिट करने में सक्षम बनाता है।

चित्र 4 में चित्र 3 की वक्रता को विपरीत दिशा से दर्शाया गया है तथा एक चीरा भी इस प्रकार से बनाया गया है कि चीरा अंतरातुंगक भंगिका (इंटरट्रैजिक नॉच) में आराम से स्थिर हो जाता है।

चित्र 5 वर्तमान आविष्कार का एक मूर्त रूप दर्शाता है, जिसमें वक्रता कान के सीपी के निकट फिट होती है, चीरा अंतरातुंगक भंगिका (इंटरट्रैजिक नॉच) में स्थिर रूप से स्थित होता है, तथा एक भाग कान इकाई से नीचे की ओर विस्तारित होता है।”

27. वादी ने वाद पेटेंट के लाइसेंसधारियों में से एक द्वारा दायर प्रपत्र 27 और 24 मार्च, 2016 के प्रपत्र 3 को भी अभिलेख पर रखा है। हालाँकि,

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सौंपे गए किसी भी निर्णय को वादी द्वारा अभिलेख पर नहीं रखा गया है।

28. प्रतिवादी का मुख्य प्रस्तुति दो है:

- वादी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण और छिपाया गया है;
- संबंधित विदेशी पेटेंट के अमान्य या अस्वीकार किए जाने के निर्णयों के आधार पर वाद पेटेंट की वैधता को चुनौती दिया गया है।

29. दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम शासी पेटेंट वाद, 2022 (इसके बाद, 'पेटेंट वाद नियम') के अनुसार, वादी के लिए, यथासंभव किसी वादपत्र में संबंधित विदेशी पेटेंट आवेदनों के विवरण के साथ-साथ वाद में बताए गए समान या काफी हद तक समान आविष्कार के संबंध में न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से संबंधित जानकारी शामिल करना आवश्यक है। पेटेंट सूट नियमों के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:

"3. अभिवचन की विषय-वस्तु

क. वादपत्र

उल्लंघन कार्रवाई में वादपत्र में, जहाँ तक संभव हो, निम्नलिखित पहलू को शामिल किए जाएंगे :

(iv) अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार आवेदनों/पेटेंट (पेटेंटों) और उनके स्वीकृति का संक्षिप्त सारांश जिसमें आविष्कार के लिए विश्वव्यापी संरक्षा का विवरण शामिल है।

- (v) वाद पेटेंट (पेटेंटों) का संक्षिप्त अभियोजन इतिहास;
 (vi) वाद पेटेंट (पेटेंटों) को दी गई किसी भी चुनौती और उसके परिणाम का विवरण;
 (vii) किसी भी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का विवरण, यदि कोई हो, जो वाद पेटेंट या पेटेंट की वैधता को बरकरार रखता है या अस्वीकार करता है जो उसी का या काफी हद तक उसी आविष्कार के लिए है;"

30. इसके अलावा, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 1, वाद दायर करने वाले वादी को **सभी** दस्तावेज दाखिल करने की बाध्यता है, जिनका वाद से संबंध होगा। उक्त नियम निर्दिष्ट करता है कि वादी का यह कर्तव्य है कि वह उन दस्तावेजों को भी दाखिल करे, जो वादी के मामले के प्रतिकूल हैं। इसलिए, कुल मिलाकर, उक्त नियम वादी द्वारा व्यापक प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निष्पक्ष न्यायनिर्णयन के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी न्यायालय को उपलब्ध है। उक्त नियम का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

"आदेश XI उच्च न्यायालय या वाणिज्यिक न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के समक्ष मुकदमों में दस्तावेजों का प्रकटीकरण, खोज और जाँच

1. दस्तावेजों का प्रकटीकरण और खोज –

(1) वादी, वाद से संबंधित अपने अधिकार, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेजों की सूची और फोटोकॉपी,

वादपत्र के साथ दाखिल करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) वादपत्र में वादी द्वारा संदर्भित और उन पर भरोसा किए गए दस्तावेज;

(ख) वादी की कब्जा, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में कार्यवाहियों में प्रश्नगत किसी भी मामले से संबंधित दस्तावेज, वाद दायर करने की तारीख तक, भले ही वे वादी के मामले के समर्थन में हैं या उनके प्रतिकूल हैं...

31. उपरोक्त नियमों से पता चलता है कि वाद दायर करते समय, बुनियादी जांच की जानी चाहिए कि क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधित पेटेंट हैं, और क्या उनमें से किसी को किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अविधिमान्य घोषित किया गया है।

32. वर्तमान वाद में, हालाँकि, वादपत्र के पैराग्राफ 19 के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ देशों के संबंध में, जहाँ वाद पेटेंट या तो प्रतिसंहत कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, व्यपगत हो गया है, या तो लंबित या स्वीकृत के रूप में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, अन्य देशों में वादी पेटेंट आवेदन की स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	देश का नाम	आवेदन की तिथि	आवेदन संख्या	वादपत्र के अनुसार	वर्तमान स्थिति
1.	ए.आर.आई.पी	30/05/2008	एपी/पी/2009/00504	लंबित	व्यपगत

	.ओ.		9		
2.	ओ.ए.पी.आई.	30/05/2008	1200900400	लंबित	-
3.	ऑस्ट्रेलिया	30/05/2008	2008257820	प्रकाशित	बंद
4.	चीन	30/05/2008	200880018303.9	लंबित	17.12.2020 को वापस ले लिया गया/ अस्वीकार कर दिया गया
5.	जापान	30/05/2008	2010-510247	लंबित	अधिकार समाप्त/अमा न्य
6.	इंडोनेशिया	30/05/2008	डब्ल्यू00200903305	लंबित	-
7.	दक्षिण कोरिया	30/05/2008	2009-7024923	स्वीकृत	स्वीकृत
8.	इज़राइल	30/05/2008	202192	लंबित	पेटेंट लागू नहीं है
9.	कनाडा	30/05/2008	2,689,100	लंबित	स्वीकृत
10.	मिस्र	30/05/2008	पीसीटी1731/2009	लंबित	-
11.	यूरेशिया (रूसी संघ)	30/05/2008	2009148293	लंबित	स्वीकृत
12.	न्यूजीलैंड	30/05/2008	पीसीटी/एन008/001 90	लंबित	01.12.2020 को वापस ले

					लिया गया
13.	फिलिपींस	30/05/2008	पीसीटी/एन008/001 90	लंबित	-
14.	संयुक्त राज्य अमेरिका	30/05/2008	12/600795	स्वीकृत	-

33. जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, वाद पेटेंट की स्थिति विभिन्न देशों में भिन्न होती है:

- इसे चीन में मना कर दिया गया है,
- जापान में अमान्य किया गया है,
- न्यूजीलैंड में समाप्त हो गया है,
- यूरोप में प्रतिसंहत किया गया, जैसा कि वादपत्र के पैराग्राफ 20 में उल्लेख किया गया है
- इसके अतिरिक्त, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संबंधित पेटेंट को वादपत्र में रेखाचित्र में छोड़ दिया गया है, इसे वास्तव में पेटेंट ट्रायल एंड अपील बोर्ड (पी.टी.ए.बी.) द्वारा अमान्य कर दिया गया है, एक निर्णय जिसकी पुष्टि फेडरल सर्किट के लिए अपील न्यायालय द्वारा की गई थी।

34. न्यायालय गलत स्थिति का उल्लेख करने में कुछ मामूली चूक को नजरअंदाज कर सकता था। हालाँकि, वादपत्र के पैराग्राफ 19 की तुलना विद्वान अधिवक्ता श्री मिगलानी द्वारा प्रस्तुत बयान और सौंपी गई फैसले की प्रतियों से करने पर पता चलता है कि तथ्यों को पूरी तरह से दबाया गया है और गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसका मामले पर असर पड़ सकता है। प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता और न्यायालय में सौंपे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अलावा, न्यायालय ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पेटेंट खोज डेटाबेस 'पेटेंटस्कोप' और 'ईएसपीएसीएनईटी' के द्वारा भी स्वतंत्र रूप से यह सुनिश्चित किया है कि जापान में प्रकाशित संख्या जेपी2012170136ए के साथ दायर कम से कम संबंधित पेटेंट आवेदन को 26 मई, 2015 के आदेश के द्वारा विचारण और अपील में अस्वीकार कर दिया गया था।

35. उक्त स्थिति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यदि वादी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मजूमदार के इस कथन पर विचार किया जाए कि वादपत्र के पैराग्राफ 19 में प्रपत्र-3 के आंकड़े दिए गए हैं, तो भी प्रपत्र 3 में दी गई जानकारी गलत है, क्योंकि प्रपत्र-3 के प्रस्तुत करने की तिथि 24 मई, 2016 दर्शाई गई है, जबकि संबंधित जापानी पेटेंट को प्रपत्र 3 दाखिल करने से लगभग एक वर्ष पूर्व, 26 मई, 2015 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यह विसंगति पेटेंट कार्यालय के समक्ष पेटेंटकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 3 में प्रदान की गई जानकारी की सटीकता के बारे में भी चिंता पैदा करती है।

36. *सतीश खोसला बनाम मेसर्स एली लिली रैनबैक्सी लिमिटेड* में [71 (1998) डीएलटी 1 (डीबी)], इस न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ ने विधिक कार्यवाही शुरू करने में स्पष्टता और स्पष्टवादिता के महत्व को रेखांकित किया है। यह वादी का दायित्व है जो 'स्वच्छ हाथों' से न्यायालय का रुख करे, एक ऐसा सिद्धांत जो सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्यों के पूर्ण प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है। यह खुलासा केवल उन तथ्यों तक सीमित नहीं है जो किसी पक्षकार के मामले को मजबूत करते हैं, बल्कि उन सभी सूचनाओं तक फैला हुआ है जो संभावित रूप से विवाद के व्यापक और निष्पक्ष न्यायनिर्णयन में सहायता कर सकते हैं। प्रकटीकरण के कर्तव्य में न केवल वर्तमान मुकदमे से संबंधित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना शामिल है, बल्कि पक्षकारगण के बीच किसी भी पिछले मुकदमे, वाद पेटेंट से संबंधित किसी भी पिछले मुकदमे, और उनके संबंधित परिणामों के बारे में न्यायालय को सूचित करने का दायित्व भी शामिल है। इस तरह की पारदर्शिता यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि न्यायालय के पास प्रासंगिक तथ्यात्मक परिदृश्य का पूर्ण और स्पष्ट दृष्टिकोण हो, जो न्याय के निष्पक्ष वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

15. एस.पी. चेंगलवराय नायडू बनाम जगन्नाथ और अन्य, ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 853 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय पक्षकारगण के बीच न्याय प्रदान करने के लिए हैं। जो न्यायालय में आता है, उसे साफ हाथों से आना चाहिए। " यह बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा

सकता है कि जिस व्यक्ति का मामला झूठ पर आधारित है, उसे न्यायालय का रुख करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में बिना देरी किए बाहर निकाला जा सकता है। एक वादकारी, जो न्यायालय का रुख करता वह मुकदमा से संबंधित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। यदि वह दूसरे पक्षकार को लाभ पहुंचाने के लिए कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाता है, तो वह न्यायालय के साथ-साथ विरोधी पक्ष के साथ भी धोखाधड़ी करने का दोषी होगा। "

16. ...

... ... प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित श्री ओबेरॉय ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी का पहले के आवेदन के लंबित होने को दबाने का कोई इरादा या उद्देश्य नहीं था जिसमें स्थगन नहीं दी गई थी और वादपत्र में यह खुलासा करने के बाद कि पक्षकारगण के बीच कोई वाद लंबित था, यह उल्लेख करना प्रासंगिक या आवश्यक नहीं था कि उक्त वाद में न्यायालय ने उनके पक्ष में कोई स्थगन नहीं दिया था। हमारे विचार में, तर्क पूरी तरह से भ्रामक हैं। किसी पक्षकार को साफ हाथों से न्यायालय का रुख करना चाहिए और सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप पक्षकारगण के विरोधी तर्कों का मूल्यांकन किया जा सके। हमारे विचार में, एक वादी, जो न्यायालय का रुख करता है, को उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहिए जो मुकदमे से संबंधित हैं और उसे पक्षकारगण के बीच किसी भी पहले के मुकदमे के लंबित होने और उसके परिणाम के बारे में भी न्यायालय को खुलासा करना चाहिए।

...हमारी राय में, प्रत्यर्थी के लिए यह अनिवार्य था कि वह न्यायालय को यह बताए कि पहले के वाद में दायर आवेदन में इसी तरह की राहत का दावा किया गया था, हालाँकि, न्यायालय ने उक्त राहत नहीं दी थी। हमारे विचार में, यदि ये तथ्य 6 फरवरी, 1997 को न्यायालय के समक्ष थे, जब दूसरा वाद सुनवाई के लिए आया था, तो हो सकता है कि माननीय एकल न्यायाधीश को प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई एकतरफा स्थगन न देने के लिए राजी किया गया हो। इसके अलावा, पट्टे के समझौते को पंजीकृत करने के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए किए गए वाद में, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वादी व्यादेश का दावा नहीं कर सकता था जिसका दावा पहले ही वाद संख्या 3064/96 में किया जा चुका था। इसलिए, हमारी राय है कि प्रत्यर्थी साफ हाथों से न्यायालय का रुख नहीं किया है और दूसरे वाद में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी छिपाया है। हमारा मानना है कि यह स्पष्ट रूप से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।”

37. **अरुणिमा बरुआ बनाम भारत संघ [एम.ए.एन.यू./एस.सी./366/2007]**

मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस उक्ति के महत्व पर जोर दिया कि "जो न्याय के लिए आता है उसे स्वच्छ हाथों के साथ आना चाहिए।" उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी पक्षकार द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना उनके न्यायसंगत राहत के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। यह सिद्धांत पेटेंट उल्लंघन के वाद में भी प्रासंगिक होगा, जहाँ वादी द्वारा कथित पेटेंट के संबंधित विदेशी पेटेंट के प्रतिसंहरण या अमान्य होने का खुलासा करने में विफलता का मामले पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। इस तरह का छिपाना सि.वा. (वाणि.) 884/2023

और गलत बयानी निस्संदेह न्यायसंगत राहत देने की न्यायालय की इच्छा को प्रभावित करेगी, क्योंकि यह साफ हाथों से न्यायालय का रुख करने के सिद्धांत का खंडन करता है।

38. 29 जुलाई, 2010 के फैसले के द्वारा, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने, *चरणजीत ठुकराल और अन्य बनाम दीपक ठुकराल और अन्य (2010: डी.एच.सी.: 3737)* मामले में पुनः इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय से राहत मांगने वाले वादी, चाहे न्यायसंगत हों या अन्यथा, किसी मामले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का ईमानदारी से खुलासा करने के लिए बाध्य हैं। व्यादेश की मांग करने वाले वादीगण को व्यादेश के लिए अपने दावे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में न्यायालय को सूचित करना चाहिए। ऐसा करने में विफलता, किसी भी छोड़े गए तथ्यों के महत्व से अनजान होने की आड़ में भी, स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय के पास व्यादेश को अस्वीकार करने का अंतर्निहित अधिकार है यदि वादी दुर्भावना से कार्य करता है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाता है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:

17. अंतरिम आदेश को एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में पारित किया जाता है ताकि मामले का अंतिम निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखी जा सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम सुनवाई से पहले मामला न तो निष्फल हो जाए और न ही समाप्त हो जाए। अंतर्वर्ती व्यादेश का उद्देश्य वादी को उसके अधिकार के उल्लंघन से

होने वाली क्षति से बचाना है, जिसके लिए उसे कार्रवाई में वसूली योग्य नुकसान में पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है यदि विचारण में उसके पक्ष में अनिश्चितता का समाधान किया गया था।

18. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जो व्यक्ति न्यायसंगत या अन्यथा राहत के लिए न्यायालय का रुख करता है, उसका यह गंभीर दायित्व है कि वह मामले में उठाए गए मुद्दों के न्यायनिर्णयन पर असर डालने वाले सभी महत्वपूर्ण/आवश्यक तथ्यों का स्पष्ट रूप से खुलासा करे। व्यादेश माँगने वाले पक्षकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने व्यादेश के अधिकार के निर्धारण के लिए सभी तथ्यों को न्यायालय के ध्यान में लाए और यह कहना उसके लिए कोई बहाना नहीं है कि वह किसी भी तथ्य के महत्व से अवगत नहीं था जिसे उसने सामने लाने के लिए छोड़ दिया है। जहाँ वादी सद्भावपूर्वक से कार्य नहीं करता है और न्यायालय के समक्ष हर महत्वपूर्ण तथ्य नहीं रखता है, वहाँ न्यायालय को उसे व्यादेश देने से इंकार करने का अंतर्निहित अधिकार है, भले ही ऐसे तथ्य हों जिनके आधार पर निषेधाज्ञा दी जा सकती है। वादी का आचरण मामले को लाने और न्यायालय के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने में बहुत महत्वपूर्ण है। वादी से न्यायालय को अपनी जानकारी में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण संभव प्रकटीकरण करने की अपेक्षा की जाती है और यदि वह पूर्ण संभव प्रकटीकरण नहीं करता है, तो वह कार्यवाही से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है और उस आदेश के द्वारा पहले से प्राप्त किसी भी लाभ से वंचित होने के लिए उत्तरदायी है जो इस प्रकार उसके द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर गलत तरीके से प्राप्त किया गया है।

39. यह विशिष्ट दृष्टिकोण कि छिपाना और गलत बयानी का अंतरिम व्यादेश आवेदन पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से आईपी विवादों के संदर्भ में, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा *ऑरा सिनर्जी इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम मैसर्स न्यू एज फाल्स सीलिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड*, [2016: डीएचसी: 1109] में बरकरार रखा गया था। *ऑरा सिनर्जी इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम मैसर्स न्यू एज फाल्स सीलिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड*, [2016: डी.एच.सी.: 7530-डी.बी.] में 18 नवंबर, 2016 के फैसले के द्वारा विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा भी उक्त निर्णय को अनुमोदित किया गया है।

40. इसके अलावा, *एफएमसी कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम जीएसपी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड*, [2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 3784] में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अंतरिम व्यादेश के स्वीकृति को चुनौती देने के लिए प्रतिवादी के लिए उपलब्ध आधारों में से एक 'छिपाना और गलत बयानी' है। 5 जुलाई, 2023 के फैसले के अनुसार, *बेयर हेल्थकेयर एल.एल.सी. बनाम नैटको फार्मा लिमिटेड*, [2023: डी.एच.सी.: 4458] में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ द्वारा अंतरिम व्यादेश से इनकार करने के लिए दस्तावेजों को छिपाने के समान आधारों को एक कारक के रूप में उद्धृत किया गया था।

41. *एफ. हॉफमैन-एल.ए. रोश लिमिटेड बनाम सिप्ला लिमिटेड*, [आई.एल.आर. (2009) पूर. (2) दिल्ली 551] मामले में इस न्यायालय की

विद्वान खंड न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अंतरिम व्यादेश की स्वीकृति केवल पेटेंट के अस्तित्व या स्वीकृति पर आधारित नहीं है, बल्कि इसकी वैधता के लिए संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

55. इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि यह कब कहा जा सकता है कि प्रतिवादी ने उल्लंघन की कार्रवाई में वादी द्वारा रखे गए पेटेंट की वैधता को विश्वसनीय चुनौती दी है? तर्क के दौरान वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि चुनौती मजबूत और विश्वसनीय दोनों होनी चाहिए। इसके अलावा, पेटेंट की वैधता को चुनौती देकर व्यादेश की स्वीकृति का विरोध करने वाले प्रतिवादी को इस स्तर पर यह दिखाने की आवश्यकता है कि पेटेंट "कमजोर" है और यह चुनौती एक "गंभीर महत्वपूर्ण प्रश्न" और विचारणीय मुद्दा उठाती है। शब्दार्थ में किसी कार्य में शामिल हुए बिना, न्यायालय को जब व्यादेश देने के अनुरोध और स्वयं पेटेंट की वैधता को चुनौती देने वाली प्रतिवादी की संबंधित याचिका का सामना करना पड़ता है, तो यह जांच करनी चाहिए कि क्या प्रतिवादी ने विश्वसनीय चुनौती दी है। दूसरे शब्दों में, यह औषधीय उत्पादों के संदर्भ में, धारा 3(घ) और पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 64 में निर्धारित आधारों के आलोक में पेटेंट देने के आदेश की जांच को आमंत्रित करेगा। निश्चित रूप से इस स्तर पर न्यायालय से किसी भी बड़े विस्तार से चुनौती की जांच करने और वैधता के सवाल पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद नहीं की जाती है। इसके लिए विचारण का इंतजार करना होगा। अंतरिम व्यादेश के स्वीकृति पर विचार करने के वर्तमान चरण में, प्रतिवादी को यह दिखाना होगा कि जो पेटेंट दिया

गया है वह चुनौती के लिए असुरक्षित है। नतीजतन, यह न्यायालय इस मुद्दे पर वादीगण की दलीलों को खारिज कर देता है और विद्वान एकल न्यायाधीश के अआक्षेपित फैसले की पुष्टि करता है।

42. वर्तमान मामले में, प्रतिसंहरण, संबंधित पेटेंट के अमान्य होने से संबंधित उपरोक्त तथ्यों के गैर-प्रकटीकरण या गलत विवरण के अलावा, कम से कम दो निर्णय हैं जो वाद पेटेंट की वैधता पर गंभीर रूप से प्रभाव डालते हैं। उक्त निर्णय जो संबंधित पेटेंट को अमान्य करने के कारणों की विस्तार से विवेचना करते हैं, उन्हें न्यायालय से वापस नहीं लिया जा सकता था और न ही अभिलेख पर दर्ज किया जा सकता था। इसे यूएस फेडरल कोर्ट ऑफ अपीलस और यूके पेटेंट कोर्ट द्वारा निम्नलिखित निर्णयों में प्रस्तुत किया गया है:

- **फ्रीबिट एस बनाम बोस कॉर्पोरेशन, निर्णय दिनांक 8 अक्टूबर, 2019 संख्या 18-2365।**
- **बोस कॉर्पोरेशन बनाम फ्रीबिट एस, [2018] ई.डब्ल्यू.एच.सी. 889 (पट.)।**

43. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट रूप से, वादी द्वारा कोई प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं किया गया है, यह देखते हुए कि प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में सक्षम रहा है कि वाद पेटेंट, जिसके बल पर वाद शुरू किया गया है, अमान्य होने के कारण प्रतिसंहरण होने की संभावना है, जैसा कि

दुनिया भर के कई अधिकार क्षेत्रों के निर्णयों से पता चलता है। *प्रथम दृष्टया* मामले का अभाव अंतरिम व्यादेश प्रदान करने में एक बुनियादी बाधा होगी।

44. दूसरा, सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादी के पक्ष में बहुत अधिक झुका हुआ है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति पर विचार करते हुए जहाँ वाद पेटेंट के संभावित प्रतिसंहरण के बारे में गंभीर दावे हैं, व्यादेश देना प्रतिवादी को अनुचित रूप से प्रतिकूल हो सकता है। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है यदि वाद पेटेंट को बाद में अमान्य या प्रतिसंहृत कर दिया जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि प्रतिवादी को अनावश्यक रूप से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने से रोक दिया गया था।

45. अंत में, प्रतिवादी को अपूरणीय क्षति होने की वास्तविक संभावना है यदि इन परिस्थितियों में व्यादेश दी जाती है। संभावित रूप से प्रतिसंहरणीय या अमान्य पेटेंट के आधार पर व्यादेश देने से प्रतिवादी को भारी नुकसान हो सकता है, जिसकी पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। दूसरी ओर, यदि पेटेंट को विचरण के बाद वैध माना जाता है, तो वादी को नुकसान के रूप में मौद्रिक राशि प्रदान की जा सकती है।

46. *गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कोका कोला कंपनी [(1995) 5 एस.सी.सी. 545]* में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि चूंकि व्यादेश देना प्रकृति में पूरी तरह से न्यायसंगत है, इसलिए

पक्षकारगण के आचरण का अंतरिम व्यादेश देना या नहीं देने पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

"इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान मामले में जी.बी.सी. ने पहले दिए गए व्यादेश आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया खटखटाया था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के तहत, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अंतर्वर्ती या अस्थायी व्यादेश के आदेश में हस्तक्षेप करना विशुद्ध रूप से न्यायसंगत है और इसलिए, न्यायालय, अन्य विचारों के अलावा, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले पक्ष के आचरण को भी देखेगा, और हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकता है जब तक कि उसका आचरण दोषमुक्त न हो। चूँकि राहत प्रकृति में पूरी तरह से न्यायसंगत है, इसलिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले पक्षकार को यह दिखाना होगा कि वह स्वयं दोषी नहीं है और वह स्वयं शिकायत की गई चीजों की स्थिति लाने के लिए जिम्मेदार नहीं था और वह उस पक्षकार के साथ अपने व्यवहार में अनुचित या असमान नहीं था जिसके खिलाफ वह राहत मांग रहा था। उसका आचरण निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। ये विचार न केवल उस व्यक्ति के संबंध में उत्पन्न होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 या नियम 2 के तहत व्यादेश का आदेश चाहता है, बल्कि लंबित वाद या कार्यवाही में पहले से दिए गए अंतरिम या अस्थायी व्यादेश आदेश को रद्द करने के लिए न्यायालय का रुख करने वाले पक्षकार के संबंध में भी उत्पन्न होंगे।

47. ऐसी परिस्थितियों में, सुस्थापित विधिक स्थिति के साथ-साथ इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के संदर्भ में, इस न्यायालय की राय है कि वादी किसी भी अंतरिम व्यादेश का हकदार नहीं है, एकतरफा या अंतरिम निषेधाज्ञा का तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा, न्यायालय की यह भी राय है कि इस तरह के आचरण को न्यायालय द्वारा नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर ऐसे मामले में जहाँ वादी को स्पष्ट होना चाहिए और विभिन्न नियमों में विशिष्ट प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

48. किशोर समिते बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य एम.एनयू/एससी/0892/2012 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस बारे में निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में किस प्रकार कार्य किया जाए, जहां किसी पक्षकार को जानकारी को छिपाने और गलत बयानी का दोषी ठहराया जाता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

29. अब, हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या सिविल रिट याचिका संख्या 111/2011 और 125/2011 में दोनों या कोई भी याचिकाकर्ता महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के दोषी हैं, न्यायालय का रुख साफ हाथों से नहीं कर रहे हैं, और इस तरह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे पहले कि हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान दें, आइए हम कुछ निर्णयज विधियों का उल्लेख करें जो वर्तमान स्थिति में अधिक सटीकता के साथ निपटान करने में हमारी मदद करेंगे। न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग और ऐसे संबद्ध मामलों के मामले न्यायालय के समक्ष लगातार उठ रहे हैं। इस न्यायालय ने कई अवसरों

पर इस तरह के मामलों का निपटान किया है और इसने स्पष्ट रूप से उन सिद्धांतों को बताया है जो किसी भी शिकायत के निवारण और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के परिणामों के लिए न्यायालय का रुख करते समय एक वादी के दायित्वों को नियंत्रित करेंगे। हम कुछ सिद्धांतों को दोहरा सकते हैं और बता सकते हैं। ऐसे सिद्धांतों को पूरी तरह से और इतनी सटीकता के साथ बताना मुश्किल है जो विभिन्न मामलों पर समान रूप से लागू होंगे। ये हैं:

(i) सदियों से न्यायालयों ने वादकारियों पर नाराजगी जताई है, जिन्होंने न्यायालयों को धोखा देने और गुमराह करने के इरादे से, तथ्यों का पूरा खुलासा किए बिना कार्यवाही शुरू की और न्यायालयों में 'अशुद्ध हाथों' के साथ आए। न्यायालयों ने माना है कि ऐसे वादकारी न तो मामले के गुणागुण के आधार पर सुनवाई के हकदार हैं और न ही राहत के हकदार हैं।

(ii) एकपक्षीय बयान पर राहत के लिए न्यायालय का रुख करने वाले लोग न्यायालय के साथ एक अनुबंध के तहत हैं कि वे पूरे मामले को पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से न्यायालय को बताएँगे और जहां वादकारी ने इस विश्वास को तोड़ा है, तो वहाँ न्यायालय के विवेकाधिकार का उपयोग ऐसे वादकारी के पक्ष में नहीं किया जा सकता है।

(iii) साफ़ हाथों से न्यायालय का रुख करने का दायित्व पूर्ण दायित्व है और इस न्यायालय द्वारा बार-बार दोहराया गया है।

(iv) व्यक्तिगत लाभ की खोज इतनी तीव्र हो गई है कि मुकदमेबाजी में शामिल लोग झूठ का सहारा लेने में संकोच

नहीं करते हैं और न्यायालय की कार्यवाही में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं और छुपाते हैं। भौतिकवाद, अवसरवाद और दुर्भावनापूर्ण इरादे ने छोटे लाभ के लिए मुकदमेबाजी मूल्यों के पुराने लोकाचार को खत्म कर दिया है।

(v) एक वादकारी जो न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो दागी हाथों से न्याय के शुद्ध स्रोत को छूता है, वह किसी भी अंतरिम या अंतिम राहत का हकदार नहीं है।

(vi) न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो तथा प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय को सुरक्षा प्रदान करने पर जोर देना भी उचित होगा तथा गंभीर दुरुपयोग के मामलों में न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह भारी जुर्माना लगाए।

(vii) जहाँ कहीं भी जनहित का मामला हो, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए याचिका की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि इसमें वास्तविक जनहित शामिल है। न्याय की धारा को बेईमान वादकारियों द्वारा प्रदूषित नहीं होने दिया जाना चाहिए।

(viii) न्यायालय, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय को न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग पर कड़ी सतर्कता बनाए रखनी होती है सामान्य रूप से हस्तक्षेप करने वाले लोगों को "वीजा (आधिकारिक रूप से स्वीकृति)" नहीं दिया जाना चाहिए। कई सामाजिक प्रदूषक अनसुलझी शिकायतों की नई समस्याएं पैदा करते हैं तथा न्यायालय को ऐसे मामलों को

लेने से बचना चाहिए जहाँ वाद के न्याय का औचित्य उचित हो।

[संदर्भ: दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य एम.ए.एन.यू./एस.सी./1886/2009 : (2010) 2 एस.सी.सी. 114; अमर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य एम.ए.एन.यू./एस.सी./0596/2011 : (2011) 7 एस.सी.सी. 69; और उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल एवं अन्य एम.ए.एन.यू./एस.सी./0050/2010 : (2010) 3 एस.सी.सी. 402]।

49. तदनुसार, अंतरिम व्यादेश आवेदन को खारिज कर दिया जाता है, बशर्ते कि जुर्माने के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाए। कुल जुर्माना चार सप्ताह के भीतर निम्नलिखित तरीके से जमा की जाएगी:

- दिल्ली उच्च न्यायालय कर्मचारी कल्याण कोष में 2 लाख रुपये जमा किए जाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय कर्मचारी कल्याण कोष का विवरण निम्नानुसार है

एसबी खाता सं. 15530110074442

(यूको बैंक, दिल्ली उच्च न्यायालय)

- 1 लाख रुपये दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में जमा किए जाएंगे
- और,
- प्रतिवादी को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

50. सुश्री मजूमदार ने प्रस्तुत की कि उन्हें इन निर्णयों को सत्यापित करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि उपरोक्त जानकारी या तथ्यों में से कोई भी वादी की ओर से गलत बताया जाता है, तो वह व्यादेश आवेदन को पुनः शुरू करने की मांग कर सकता है।

51. 10 मई, 2024 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करें।

प्रतिभा एम. सिंह
न्यायाधीश

14 दिसम्बर, 2023/डी.के./ए.एम./डी.एन.

[20 दिसंबर, 2023 को सही किया गया और जारी किया गया]

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।